



कार्यालय मुख्य अभियंता
उत्तरी अंचल(एम.) लोक निर्माण विभाग,
दिल्ली सरकार,, पाँचवा तल, एम.एस.ओ. भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नईदिल्ली- 110002

OFFICE OF CHIEF ENGINEER
North Zone (M), PWD,
GNCTD, 5th Floor, M.S.O. Building,
I.P. Estate, New Delhi -110002.



Ph: 011-23325033, 23319952 Fax: 011-23356195

e-mail: cepwddelhimzm3@gmail.com

सं० 21(11)/लो०नि०वि०/मु०अ० उत्तर /स्था-3/3738-19

दिनांक : 27/10/2020

कार्यालय ज्ञापन

सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि उनके परिमंडलों के अधीन मंडलों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल/वैद्युत) एवं अनुभाग अधिकारियों की मासिक विवरणी (Disposition list) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो रही है। जिसके कारण समय-समय पर स्थानांतरण एवं तैनाती कमेटी को बैठक में मंडलों में कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल/वैद्युत) की वर्तमान में वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान न होने के कारण निर्णय लेने में असंमजस की स्थिति बनी रहती है, कई बार गलती के कारण निर्णयों में सुधार हेतु Corrigendum निकालने पड़ते हैं एवं संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल/वैद्युत) एवं अनुभाग अधिकारियों (उद्यान) की मासिक विवरणी (सर्विस पुस्तिका/पी०आई०एम०एस० में जाँच के उपरांत) नीचे दिये गये प्रोफार्मा में भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

विवरणी प्राप्त न होने की दशा में पी०आई०एम०एस० में दिए गए विवरण को सही माना जाएगा। उपलब्ध विवरण के आधार पर किये गये स्थानांतरण में हुई विसंगति का पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का उनके द्वारा मासिक विवरणी न भेजने/नियमित न भेजने के कारण होगा।

प्रोफार्मा

मंडल का नाम:-

स्वीकृत पद सं०:-

वर्तमान में कार्यरत:-

क्रम सं०	नाम एवं पी०आई०एम०एस०	लो०नि०वि० में कब से है।	वर्तमान कार्यालय में कब से है।	यदि उनका कोई स्थानांतरण आदेश जारी हुआ है तो आदेश संख्या एवं दिनांक	कोई अन्य टिप्पणी

यह प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षण), लो.नि.वि., 7वां तल एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। कृपया इसे अति गम्भीरता से लें।

कार्य० अभि० (यो०)
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरीअंचल
कृतेमुख्य अभियंता, (उ०अं०)

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि०, 12वां तल, एम०एस०ओ० भवन, नई दिल्ली।
2. लो०नि०वि० वेब साइट। कृपया संबंधित आदेश को वेब साइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
3. सभी संबंधित कार्यालय को लो०नि०वि० वेब साइट के माध्यम से।

कार्य० अभि० (यो०)
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरीअंचल
कृतेमुख्य अभियंता, (उ०अं०)